



विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 सामान्य निर्देश

1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय विभाग चक्र के अनुसार ही परीक्षा सम्पन्न करावें। विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अथवा अधिकृत ईमेल coe@ggtu.ac.in द्वारा प्रेषित सूचना ही अधिकृत रहेंगी।
2. प्रश्न पत्रों के 'अ' खण्ड में 5, 'ब' खण्ड में 2 में तथा स खण्ड में 1 प्रश्न हल करना है। जिसमें इकाई की बाध्यता नहीं रहेगी। विद्यार्थी आवश्यकता अनुरूप शब्दों में उत्तर लिख सकेंगे। शब्द सीमा की बाध्यता हटा दी गई है। अतः विद्यार्थी को प्रतिदिन वीक्षकों के माध्यम से यह सूचना दी जानी है।
3. परीक्षार्थियों की आपस में दूरी आगे-पीछे व दायें-बायें 4 फिट न्यूनतम होनी चाहिए।
4. प्रवेश द्वार पर विद्यार्थियों के हाथ धोने की, थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था करनी है।
5. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने साथ पानी को बोतल व सेनेटाईजर साथ लावें तथा मास्क पहनकर ही प्रवेश करें। केन्द्र द्वारा इसकी पालना करवानी है।
6. परीक्षा कक्ष को प्रतिदिन सेनेटाईज करना अनिवार्य है।
7. वीक्षक एवं केन्द्र पर उपस्थित प्रत्येक कार्मिक मास्क व सेनेटाईजर अनिवार्यतः प्रयोग करें।
8. परीक्षा कक्ष में 15 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक ही लगावें। तथा 15 से अधिक 30 तक की संख्या पर दो वीक्षक लगाये जाने हैं। किन्तु सुपरवाइजर 60 विद्यार्थियों पर 1 ही रहेगा। आन्तरिक फ्लाइंग 50 विद्यार्थियों पर एक, 100 तक दो, 200 तक तीन एवं 200 से अधिक होने पर चार अधिकतम सदस्यों की बनाई जा सकती है। अन्य सभी नियम पूर्व के निर्देशानुसार ही रहेंगे।
9. परीक्षा की समयावधि विषय एवं प्रश्न पत्र के अनुसार जिन विषयों में तीन प्रश्न पत्र हैं उनमें एक घण्टा प्रति प्रश्न पत्र तथा जिनमें दो प्रश्न पत्र हैं उनमें डेढ़ घण्टा प्रतिप्रश्न पत्र का समय रहेगा। विद्यार्थी को एक प्रश्न पत्र पूर्ण करने की समयावधि के पश्चात् ही अगला प्रश्न पत्र दिया जायेगा। इसी नियम की पालना प्रश्न पत्र स्ट्रॉंग रूम से लाने और खोलने में करनी है। अर्थात् प्रश्नपत्र अनुसार नियत समयावधि से 20 मिनट पूर्व ही प्रश्न पत्र का पैकेट खोलना है। पेपर खोलते समय विषय एवं कोड का अत्यन्त सावधानी से अवलोकन करें। प्रश्न पत्र के पैकेट पर समय व दिनांक मुद्रित है किन्तु अधिकृत सूचना विश्वविद्यालय द्वारा घोषित टाईम टेबल को ही माना जाये। तदनु रूप ही परीक्षाएं आयोजित करवानी है।
10. परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक दिये गये हैं तथा किसी विषय अथवा प्रश्न पत्र की उपस्थिति पत्रक नहीं होने पर ऑनलाईन ही प्रिन्ट करने हैं तथा एक ही प्रति में विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करवाकर उसकी फोटों कॉपी केन्द्र द्वारा संधारित की जाए व मूल विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायें।
11. परीक्षा केन्द्र पर यदि कोई कोविड-19 संदिग्ध परीक्षार्थी आता है तो निकटतम चिकित्सालय से परामर्श प्राप्त कर पृथक से विद्यार्थी को परीक्षा हेतु बैठाया जाये। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व से कोरोना संक्रमित है तथा वर्तमान में आइसोलेट है तो उसकी परीक्षा विद्यार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा बाद में करवायी जायेगी। ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा कार्यक्रम पृथक से घोषित किया जायेगा।
12. कोविड-19 हेतु परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी के हाथों को सेनेटाईजर करने अथवा साबुन से धुलवाने, परीक्षा कक्ष को दोनों पारियों में सेनेटाईज करवाने एवं अन्य आवश्यक सावधानियों को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रति विद्यार्थी 4 रूपया पृथक से देय होगा। जिसके लिए परीक्षा केन्द्र को बिलवाउचर प्रस्तुत करना होगा।
13. विद्यार्थियों को परीक्षा समय से 1 घण्टा पूर्व केन्द्र पर प्रवेश दे सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रथम प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहता है तो उसे द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु दो प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश देय नहीं होगा।


14. परीक्षार्थियों के केन्द्र में प्रवेश एवं प्रस्थान के समय भौतिक दूरी के नियम अनिवार्यतः पालना करवायी जाए।
15. परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाए कि उत्तरपुस्तिका के पृष्ठ बदलते समय थूंक का इस्तेमाल न करें।
16. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धी समस्त सामग्री आपको प्रेषित कर दी गई है। यदि किसी प्रकार की सामग्री का अभाव हो तो (प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिकाओं को छोड़कर) शेष व्यवस्थाएँ केन्द्र स्तर पर करने का प्रयास करें।
17. विद्यार्थियों की अनुपस्थिति पूर्ववत् ऑनलाईन ही करनी है एवं ऑफलाईन दिये गये प्रपत्र में करनी है। कोविड संक्रमित विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने की सूचना पृथक से लिफाफा बनाकर प्रेषित करें तथा ऑनलाईन उसे ABSENT दर्ज करें।
18. आपको आवंटित परीक्षार्थियों की परीक्षा सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करते हुए करवानी है यदि आपके वहा पर किसी दिन अधिक परीक्षार्थियों की संख्या हो रही हो तो निकटतम सब सेन्टर बनाने की व्यवस्था पहले ही कर ले तथा उसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें ताकि सम्बन्धित सब सेन्टर पर भूगतान की अग्रिम व्यवस्था की जा सके।
19. परीक्षा केन्द्र पर लगाये जाने वाले वीक्षक एवं समस्त कार्मिकों से यह शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि वर्तमान में वे अथवा उनके निकटतम सम्बन्धियों में कोरोना से संक्रमित नहीं है।
20. राज्य सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा विषयवार सभी प्रश्न पत्रों की दो या तीन जो भी है निर्धारित तीन घण्टों में ही सम्पन्न करवायी जा रही है। इसलिए प्रथम प्रश्न पत्र की समयावधि पूर्ण होने पर ही अगला प्रश्न पत्र देय होगा। एवं पूर्व के प्रश्न पत्र की उत्तरपुस्तिका संग्रहित करने के बाद ही अगले प्रश्न पत्र हेतु उत्तरपुस्तिका दी जायेगी। उत्तरपुस्तिकाओं का संग्रहण एवं उसका पैकेट प्रश्नपत्रवार 300 के गुणक में ही बनाने है। उत्तरपुस्तिका के पेपर पर पैकिंग स्लिप के साथ— साथ परमानेन्ट मार्कर से पेपर कोड, केन्द्र कोड एवं परीक्षा दिनांक का उल्लेख अनिवार्यतः करना है।
21. प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थी को अधिक समय उपलब्ध हो सके इस कारण उत्तरपुस्तिका के प्लेप A के पृष्ठ भाग में जो पृविष्ठियाँ करनी थी वह नहीं करनी है। अर्थात् केवल मुख्यपृष्ठ की प्रविष्ठिया ही करनी है।

आशा है पूर्ववत् आपका सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता रहेगा। वर्तमान विषम परिस्थितियों में सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हुए परीक्षा करवाना अत्यन्त कठिन कार्य है किन्तु हम इस कठिनाई को चुनौति के रूप में स्वीकार कर आपके सहयोग से सफल होने का प्रयास करेंगे।

धन्यवाद।

दिनांक : 28.07.2021

भवदीय


परीक्षा नियन्त्रक
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
बांसवाड़ा (राज.)